<u>उत्तर पश्चिम रेलवे</u>

प्रधान कार्यालय
जयपुर

संख्या– उ.प.रे. / प्र.का. / संरक्षा / संरक्षा परिपत्र / 3 / 25

दिनांक 18.03.2025

मण्डल रेल प्रबंधक– अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

<u>मुख्यालय संरक्षा सर्कुलर 3/2025</u>

4.17. स्टेशन से पास होने वाली गाड़ियों के पिछले टेल बोर्ड या टेल लैम्प से संबंधित स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी.–

(1) स्टेशन मास्टर को यह देखना होगा कि उसके स्टेशन से पास होने वाली प्रत्येक गाड़ी के अंतिम वाहन पर नियम 4.16 के अनुसार पिछला (टेल) बोर्ड या पिछली बत्ती (टेल लैम्प) या अन्य उपकरण लगा है।

(2) यदि स्टेशन से कोई ऐसी गाड़ी पास होती है जिस पर गाड़ी की संपूर्णता का ऐसा चिन्ह नहीं लगा है, तो स्टेशन मास्टर–

(क) तत्काल अगले स्टेशन को सूचित करेगा कि गाड़ी को रोक कर अभाव की पूर्ति कर दी जाए और यह सूचना दी जाए कि गाड़ी पूर्ण है या नहीं;

(ख) इस बीच यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछले स्टेशन से किसी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं करने दिया जाए, ब्लॉक सेक्शन को बन्द करने का कार्य रोक देगा, और

(ग) जब तक अगले स्टेशन से यह सूचना नहीं मिल जाती कि गाड़ी पूर्ण है, तब तक वह न तो पिछले ब्लॉक सेक्शन को खाली समझेगा और न ही उसे बन्द करेगा।

(3) जहाँ किसी सेक्शन में, ब्लॉक प्रूविंग धुरा काउंटर या ब्लॉक स्टेशनों के बीच अनवरत ट्रेक सर्किटिंग और अभिग्राही स्टेशन की नॉन रनिंग लाइनों को छोड़कर स्टेशन की पूर्ण ट्रेक सर्किटिंग की गयी हो तथा कार्य कर रही हो और जहाँ ब्लॉक सेक्शन की क्लीयरेंस का तथा दिये गये संकेत के आधार पर गाड़ी के पूर्ण आगमन का स्पष्ट संकेत हो, वहाँ यदि कोई गाड़ी उक्त उप–खण्ड (1) के उपबन्धों का अनुपालन किये बिना किसी स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन मास्टर खराबी को दूर करना सुनिश्चित करने के लिए अगले स्टेशन को अग्रिम रूप से सूचित करेगा तथा ऐसे मामलों में उसे उप–नियम (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) में विहित निर्देशों के अनुसार उसे पिछले ब्लॉक खण्ड को बंद करने के कार्य को रोके रखने की आवश्यकता नहीं है।

स.नि.4.17.(1) बिना रुके सीधे जाने वाली (रन थ्रू) गाड़ियों के पूर्ण होने/गाड़ी के पूर्ण आगमन को सुनिश्चित करने के लिये स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार होगा।

स.नि.4.17.(2) जहाँ किसी सेक्शन में, ब्लॉक प्रूविंग धुरा काउंटर या ब्लॉक स्टेशनों के बीच अनवरत ट्रेक सर्किटिंग और अभिग्राही स्टेशन की, नॉन रनिंग लाइनों को छोड़कर, स्टेशन की पूर्ण ट्रेक सर्किटिंग की गयी हो तथा कार्य कर रही हो और जहाँ ब्लॉक सेक्शन की क्लीयरेंस का तथा दिये संकेत के आधार पर गाड़ी के पूर्ण आगमन का स्पष्ट संकेत हो, वहाँ इसको स्टेशन मास्टर के लिए गाड़ी के पूर्ण आगमन के आश्वासन के रूप में लिया जायेगा, अन्यथा......

(क) उन स्टेशनों पर जहाँ दो या दो से अधिक केबिन हैं, जब भी रुकने वाली गाड़ियाँ स्टेशन मास्टर के कार्यालय से इतनी दूर रुके कि स्टेशन मास्टर आसानी से यह नहीं देख सके कि गाड़ी पूरी आ गयी है तो यह देखना उस केबिनमेन का दायित्व होगा जिसके निकट अन्तिम वाहन रुकता है। ऐसी परिस्थिति में जैसे ही रुकने वाली गाड़ी आये तो सबसे पिछले वाहन के पीछे पिछली बत्ती/पिछला

बोर्ड या उसके अधिकृत विकल्प देखकर केबिनमेन यह तसल्ली करेगा कि पूरी गाड़ी आ गयी है और जब तक वह इस प्रकार स्वयं सुनिश्चित न कर ले, निकट (होम) सिगनल के लीवर को सामान्य नहीं करेगा। पूरी गाड़ी आ जाने के बाद वह निकट (होम) सिगनल लीवर को सामान्य कर देगा और पूरी गाड़ी आने की सूचना टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को देगा। जहाँ चाबी परेषण उपकरण (की ट्रांसमीटर) की व्यवस्था है, वहाँ स्टेशन मास्टर को इस उपकरण द्वारा निकट (होम) सिगनल की चाबी वापिस भेजना केबिनमेन का स्टेशन मास्टर को यह आश्वासन देना कि गाड़ी पूरी आ गयी है। अन्य सभी स्थिति में केबिनमेन को प्राइवेट नम्बर अवश्य देना चाहिये जब तक चाबी या प्राइवेट नम्बर नहीं दिये जाते, स्टेशन मास्टर "गाड़ी सेक्शन से बाहर" सिगनल नहीं देगा।

(ख) यदि पिछली बत्ती/पिछला बोर्ड या उसके अधिकृत विकल्प के न रहते गाड़ी अधूरी आती है तो केबिनमेन टेलीफोन द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचना देगा और स्टेशन मास्टर इस सूचना की पावती प्राइवेट नम्बर के साथ देगा। प्राइवेट नम्बर प्राप्त करने के बाद केबिनमेन निकट (होम) सिगनल के लीवर को सामान्य स्थिति में कर देगा और यदि कोई चाबी हो तो उसे ट्रांसमिट करेगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर को पूर्ण आगमन रजिस्टर भेजेगा ताकि ट्रेन मैनेजर पूर्ण आगमन रजिस्टर में अपनी गाड़ी की प्रविष्टि के सामने यह प्रमाणित करे कि पूरी गाड़ी आयी है या नहीं। रजिस्टर वापस मिलने पर और स्वयं यह सुनिश्चित करने के बाद कि ट्रेन मैनेजर ने पूरी गाड़ी आने का प्रमाण पत्र दे दिया है, स्टेशन मास्टर केबिनमेन को सूचित करेगा कि गाड़ी पूरी आ गयी है और इस सूचना की पुष्टि के लिए दूसरा प्राइवेट नम्बर देगा।

(ग) उन स्टेशनों को छोड़कर जहाँ दो या अधिक केबिन हैं हर स्टेशन पर "पूर्ण आगमन रजिस्टर" रखा जायेगा जिसमें रुकने वाली सभी गाड़ियों के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र ट्रेन मैनेजरों से प्राप्त किये जायेगें। इस रजिस्टर में निम्नलिखित कॉलम होंगे–

तारीख	गाड़ी सख्या	आगमन समय		गाड़ी पूरी आने के प्रतीक के रूप में ट्रेन मैनेजर के हस्ताक्षर
		घंटा	मिनट	

गाड़ी का नम्बर और तारीख लिखने के बाद स्टेशन मास्टर अपने किसी स्टेशन पोर्टर के द्वारा रजिस्टर ट्रेन मैनेजर को भेजेगा। ट्रेन मैनेजर इस बात की स्वयं तसल्ली कर लेने के बाद कि गाड़ी का सबसे पिछला वाहन उल्लंघन चिन्ह को क्लीयर करके खड़ा हुआ है, रजिस्टर के उपयुक्त कॉलम में गाड़ी के पहुँचने का समय लिखकर अपने पूरे हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद वह और स्टेशन पोर्टर दोनों साथ–साथ दिन में हरी झण्डी और रात में हरी बत्तियाँ हिलाकर स्टेशन मास्टर को गाड़ी को पूरी आने का संकेत देगा। स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर और स्टेशन पोर्टर के हैंड सिगनल मिलने पर लाइन बंद कर देगा किन्तु वह तब तक उस ब्लॉक स्टेशन को, जिससे अभी गाड़ी आयी है, न लाइन क्लीयर देगा और न ही उससे लाइन क्लीयर माँगेगा जब तक कि पूर्ण आगमन रजिस्टर वापस नहीं आ जाता और वह स्वयं तसल्ली नहीं कर लेता कि इसमें ट्रेन मैनेजर ने पूरी गाड़ी आने का प्रमाण पत्र दे दिया है।

स.नि.4.17(3)(क) यदि गाड़ी स्टेशन से पिछले बोर्ड या पिछली बत्ती के बिना गुजरती है तो, जीआर 4. 17(2) (क) और जीआर 4.17(3) के संदर्भ में, अगले स्टेशन को टेल बोर्ड/टेल लैंप गायब होने के संबंध में सूचना ब्लॉक उपकरण, यदि उपलब्ध हो, पर घंटी कोड 000000–00 (छः विराम दो) के साथ दी जाएगी एवं सूचना की पावती निजी अंकों के आदान–प्रदान के तहत दी जाएगी।

यदि स्टेशन मास्टर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ट्रेन का एक हिस्सा गायब है, तो वह ट्रेन विभाजन से संबंधित मौजूदा नियमों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

दोहरी/बहुलाइन सेक्शनों पर यदि कोई गाड़ी टेललैम्प या टेलबोर्ड के बगैर किसी स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन मास्टर/स्विचमेन/केबिनमेन समीपवर्ती लाइन/लाइनों पर गाड़ियों का संचालन तत्काल रोक देंगे और उसके लोको पायलट को एक सतर्कता आदेश दिया जायेगा जिसमें उसे सर्तकतापूर्वक चलने एवं संचलन की दिशा के साथ–साथ आसन्न लाइनों पर हुए अवरोध पर कड़ी नजर रखने तथा और किसी भी अवरोध से पहले खड़े होने के लिए तैयार रहने के अनुदेश होंगे। लोको पायलट अपनी गाड़ी को अगले ब्लॉक स्टेशन पर रोकेगा और स्टेशन मास्टर को ब्लॉक सेक्शन की स्थिति के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।

दूसरी लाइन पर सामान्य संचालन तभी शुरु किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि समीपवर्ती लाइन/लाइनों पर कोई अवरोध नहीं है।

(ख) जिन सेक्शनों में ट्रेन कंट्रोल चालू हो वहॉ यदि पिछली बत्ती या पिछले बोर्ड के बिना गाड़ी गुजरती है तो वह स्टेशन मास्टर जिसने बिना टेललैम्प या टेल बोर्ड के गाड़ी पास की है नियंत्रक को भी इस घटना की सूचना देगा। कंट्रोलर इसे लिख लेगा और अगले स्टेशन पर गाड़ी को रोकने की व्यवस्था करेगा।

18/03/25

उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (याता.)

प्रतिः—

महाप्रबन्धक के सचिव— महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव— अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

प्र.मु.बि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.— को सूचनार्थ।

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :—अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर— को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।